अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
13/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 81/2009** **सुकरा उरांव बनाम् शरण उरांव व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–138–R15/2008-09 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–141/2008–09 में आवेदक के भू–वापसी आवेदन को अस्वीकृत किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया गया है। आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46 के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुये हस्तांतरित किया गया है। भूमि के कथित क्रेता राँची के निवासी नहीं है, जिस कारण भूमि हस्तांतरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया गलत है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकों की पुश्तैनी रैयती भूमि है, जिसे विपक्षियों द्वारा गलत तरीके से आवेदक के पिता से दस्तखत कराकर प्राप्त कर लिया गया है। आवेदक के पिता द्वारा इस बात की पुष्टि भी की गयी है, इसके बाद भी निम्न न्यायालयों द्वारा भूमि वापसी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। धारा–71–A के प्रावधान विशिष्ट प्रकृति के है तथा इन प्रावधानों का लाभ आदिवासी रैयतों की भूमि की रक्षा करने के लिये है। अतः यह पुनरीक्षण आवेदन मान्य किया जाना चाहिए। लिखित बहस में आवेदक द्वारा कहा गया है कि विपक्षियों द्वारा भूमि का क्रय दिनांक–13.12.1979 को किया गया है तथा भूमि वापसी का आवेदन दिनांक–26.05.2008 को दायर किया गया था, इस प्रकार यह दावा 30 वर्षों के भीतर दायर किया गया है। आवेदक का यह भी कथन है कि उनकी जन्मतिथि दिनांक–10.12.1973 है। अतः 1991 में वे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर बालिग हुये है। इस प्रकार वर्ष–2008 में किया गया भूमि वापसी का आवेदन समय–सीमा के अन्तर्गत है। आवेदक द्वारा धारा–46(3) में उल्लेखित स्थानीय	

Scanned by CamScanner

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई का बारे में तारीख साथ

निवासी के परिभाषा पर भी विवेचना की गयी है। क्योंकि प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण गलत तरीके से तथा जालसाजी से प्राप्त अनुमति के आधार पर हुआ है, अतः आवेदक भूमि वापसी का दावा कर रहे है।

विपक्षी की तरफ से कहा गया कि आवेदक के पिता छेदिया उरांव द्वारा –Rent Suit Deputy Collector के समक्ष धारा–46 के तहत् वाद संख्या–217–R08/78-79 दायर किया गया, जिसमें खाता नम्बर–68, प्लॉट नम्बर–249, रकबा–1 एकड़, ग्राम–हेहल की भूमि हस्तांतरण हेतु अनुमति प्राप्त की गयी। उक्त अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् निबंधित केवाला के माध्यम से हिन्दराज उरांव, शरण उरांव एवं मंगल भगत को 1979 तथा 1981 में भूमि हस्तांतरित की गयी, जिसके पश्चात् इन क्रेताओं के द्वारा उक्त भूमि पर दाखिल–खारिज कराते हुये अपने मकान का निर्माण किया गया। इस हस्तांतरण की अनुमति को कभी भी किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गयी। अतः यह हस्तांतरण अनुमति का आदेश अंतिम रूप ले चुका है। ऐसे हस्तांतरण अनुमति को मात्र 12 वर्षो तक ही उपायुक्त के द्वारा पुनः समीक्षा किये जाने का प्रावधान है, जो प्रश्नगत् मामले में नहीं किया गया है। वर्णित परिस्थिति में यह पुनरीक्षण आवेदन मान्य करने का कोई आधार नहीं है। विपक्षियों की तरफ से इसी प्रकार के अन्य मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों को भी संलग्न किया गया है।

अभिलेखों के अवलोकन से तथा यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि विधिवत् अनुमति प्राप्त करते हुये वर्ष–1979 में ही अन्य आदिवासी व्यक्ति को हस्तांतरित की जा चुकी है। इस हस्तांतरण के पश्चात् आवेदक के पिता द्वारा किसी भी स्तर पर कोई शिकायत दायर नहीं की गयी। विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष आवेदक के पिता छेदिया उरांव द्वारा एक शपथपत्र भी दायर किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि पिता के जीवित रहते हुये उनके पुत्र द्वारा भूमि वापसी का दावा किया जाना पूर्णतः अनुचित है।

Scanned by CamScanner

फारम सं0 563

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आवेदक स्वयं ही यह स्वीकार करते है कि वे बालिग होने के पश्चात् उनके द्वारा यह मुकदमा दायर किया गया है। उसी आधार पर आवेदक द्वारा Limitation अवधी की गणना भी की गयी है, जो पूर्णतः अतार्किक है। आवेदक द्वारा मात्र विपक्षियों के अन्य स्थान पर निवासी होने का दावा किया गया है, किन्तु इस तथ्य की पुष्टि हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा सभी तथ्यों पर विस्तृत विवेचना करते हुये भूमि वापसी के आवेदन को अस्वीकृत किया जा चुका है। भूमि का हस्तांतरण विधिवत् अनुमति प्राप्त कर किया गया है, जिसे आवेदक धोखाधड़ी बता रहे हैं। किन्तु इस निष्कर्ष के लिये कोई साक्ष्य या तार्किक आधार उपलब्ध नहीं है। निम्न् न्यायालय में आवेदक के पिता द्वारा दिये गये शपथ पत्र को भी आवेदक नकार रहे हैं। स्पष्टतः प्रश्नगत् मामले में भूमि वापसी का दावा संधारणीय नहीं है, अतः इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 13/6/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 13/6/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 13:00:30 +05:30
Location: 192.168.1.40

Scanned by CamScanner